न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–
भवानीसिंह पुत्र जगदीशसिंह
राजपूत निवासी मीठड़ी

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. जगदीशसिंह पुत्र मदनसिंह रावणा राजपूत
2. खेखादेवी पत्नी जगदीशसिंह रावणा राजपूत
3. करणसिंह पुत्र जगदीशसिंह रावणा राजपूत
4. किशोरसिंह पुत्र जगदीशसिंह रावणा राजपूत
5. गीतादेवी पत्नी रामचन्द्र कुमावत
6. संतोषदेवी पत्नी रामेश्वर कुमावत
7. बिरदी देवी पत्नी प्रकाश कुमावत
   निवासी सभी मीठड़ी तह. नांवा
8. तहसीलदार नांवा

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री देवीसिंह वकील प्रार्थी
श्री विनोदसिंह वकील अप्रार्थी 1, 2
श्री रामेश्वरलाल नेहर वकील अप्रार्थी 5, 6, 7

मुकदमां नम्बर :– 194/2007

निर्णय दिनांक :– 28.12.2017

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1018, 1019, 1020 कुल रकबा 4.80 हैक्टयर भूमि स्थित हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 4 एक ही खानदान के सदस्य हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं अप्रार्थी 1 कर्ताखानदान होने से सम्पूर्ण भूमि उसके नाम दर्ज हो गई हैं अप्रार्थी 1 वृद्ध व्यक्ति हैं जिसको उसके परिवाद के सदस्यों द्वारा बहला फुसलाकर धोखे से सम्पूर्ण भूमि का बैचान दिनांक 29.12.2007 को कर दिया हैं जबकि अप्रार्थी 1 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था। उक्त बैचान के आधार अप्रार्थी 5 से 7 प्रार्थी व अन्य अप्रार्थी 2 से 4 को जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा हैं बिना कब्जे काश्त के अप्रार्थी 5 से 7 के पक्ष में किया गया बैचान प्रार्थी व अप्रार्थी 2 से 4 के हितो तक स्वतः ही शून्य हैं। मौके पर अप्रार्थी 2 से 4 के मकानात बने हुऐ हैं तथा कब्जा काश्त हैं जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी 2 से 4 को बेदखल किया जाता हैं तो अपारक्षति होगी। जिससे अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 5 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त विवादित सम्पूर्ण भूमि पर पूर्व में अप्रार्थी 1 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी उसके बाद दिनांक 29.12.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान अप्रार्थी 5 से 7 ने सम्पूर्ण भूमि प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की हैं तब से अप्रार्थी 5 से 7 मौके पर काबिज काश्त हैं

उपखण्ड अधिकारी
नांवां

उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी 1 की स्वंय अर्जित भूमि थी जिसका उसके द्वारा बैचान किया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं जगदीशसिंह कभी कर्ताखान्दान नहीं रहा सैना में नोकरी करता था तथा पेंशन आने के बाद उक्त भूमि खरीद की थी जो उसकी स्वंयअर्जित भूमि हैं उक्त भूमि पर खरीद के दिन से आज दिनांक तक लगातार कब्जा अप्रार्थी 5 से 7 को हैं जिससे प्रार्थी किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण ने नोटिस तामील के बावजूद जवाब पेश नहीं करने कारण जवाब बन्द किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम मीठड़ी की जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के अनुसार मीठड़ी के खसरा नम्बर 1018, 1019, 1020 कुल रकबा 4.80 हैक्टयर भूमि की खातेदारी जगदीशसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि का बैचान 29.12.2007 को अप्रार्थी 5 से 7 के पक्ष में प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर किया गया हैं जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र में संलग्न हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि हो, या अप्रार्थी 1 के नाम कर्ता खानदान की हैसियत से दर्ज हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं उक्त भूमि में अप्रार्थी 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था जिसने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान प्रतिफल की राशि प्राप्त कर किया हैं जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी 2 से 4 का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में नहीं होकर अप्रार्थी 5 से 7 के हक में प्रतीत होता हैं तथा अप्रार्थी 5 से 7 ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान से उक्त भूमि प्रतिफल की राशि अदा कर मौके पर खरीद के दिन से काबिज काश्तकार हैं जिससे अपूर्णीयक्षति का बिन्दू भी अप्रार्थी 5 से 7 के हक में है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। अतः दिनांक 31.12.2007 को जारी अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त किया जातकर मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नांवा

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा